यह कार्यवृत्त अंग्रेजी के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद है किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी का मूल पाठ ही मान्य होगा।

छावनी परिषद्, मेरठ कार्यालय मे दिंनाक 22.11.2016 को 1100 बजे आयोजित हुई छावनी परिषद की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे

1.	मेजर जनरल के0 मनमीत सिंह , जीओसी	अध्यक्ष
2.	श्रीमती बीना वाधवा	उपाध्यक्ष
3.	कर्नल सुबोध गर्ग	सदस्य
4.	कर्नल ए0के0 वैद्य	सदस्य
5.	मेजर चेतन वी0 धवाड, एस.एम, जीई(एस)	सदस्य
6.	मेजर मनमोहन एस बरार	सदस्य
7.	श्रीमती बुशरा कमाल	सदस्य
8.	श्री नीरज राठौर	सदस्य
9.	श्री अनिल जैन	सदस्य
10.	श्रीमती मन्जू गोयल	सदस्य
11.	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	सदस्य
12.	श्री विपिन सोढी	सदस्य

श्री राजीव श्रीवास्तव, मु.अ.अ — सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे

1.	ब्रिगेडियर जे0एस0 बिश्नोई, एसईएमओ	पदेन सदस्य
2.	श्री गौरव वर्मा	सदस्य
3.	श्रीमती रिनी जैन	सदस्य

विशेष आमंत्रित

1.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य	विशेष आमंत्रित
2.	श्री मुनकाद अली, माननीय संसद सदस्य	विशेष आमंत्रित
3.	श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, माननीय विधायक	विशेष आमंत्रित

३४६. शपथ ग्रहण

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्य बनने पर मेजर चेतन वी धवाड, एसएम, जीई (एस) – अधिशासी अभियंता को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराना।

346. संकल्प

मेजर चेतन वी धवाड, एस एम, जीई (एस) ने बोर्ड का पदेन सदस्य होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अंतर्गत भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ग्रहण की।

३४७. श्री अनुज सिंह, सीईई, छावनी परिषद् (निलंबित) द्वारा बहाली के लिए दिया गया प्रतिवेदन।

श्री अनुज सिंह, सीईई, छावनी परिषद् (निलंबित) से प्राप्त प्रतिवेदन दिंनाक 15.09.2016 जिसमें उन्होने उनकी सेवाओं मे बहाली का अनुरोध किया है पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि व्यक्ति दिंनाक 10.07.2016 को आईपीसी की धारा 302, 147 एवं 34 के अंतर्गत दायर एफआईआर के आधार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो बंगला संख्या 210–बी, वेस्ट एंड रोड मेरठ छावनी मे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश पर की गई ध्वस्तीकरण के दौरान हुई दुर्घटना मे 04 लोगों की मृत्यु के बाद दायर की गई थी एवं व्यक्ति को 48 घण्टे से ज्यादा गिरफ्तार रहने के कारण अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा दी गई अनुमति दिंनाक 26.07.2016 एवं जो बोर्ड द्वारा सर्कुलर एजेंडा संख्या 286 दिंनाक 04.08.2016 के माध्यम से नोट किया गया था के पश्चात कार्यालय आदेश संख्या 190 दिंनाक 27.07.2016 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया था।

जिला न्यायधीश के न्यायालय ने व्यक्ति को आदेश दिंनाक 12.09.2016 के माध्यम से मामले पर बिना किसी टिप्पणी के जमानत पर रिहा कर दिया था। हालाकि, जांच अधिकारी, पुलिस स्टेशन, सदर बाजार ने न्यायालय मे अपनी रिपोर्ट दायर करते हुए कहा कि यह दुर्घटना का मामला है न कि हत्या का एवं तद्वनुसार, एफआईआर मे लिखी धाराएं 302 से 304 आईपीसी मे बदल दिया गया।

छावनी निधि सेवा नियमावली, 1937 के नियम 10(5)(सी) के अंतर्गत अधिकारी द्वारा किया गया निलंबन या निलंबन समझा जाने वाला आदेश किसी भी समय सुधार कर वापस लिया जा सकता है।

सम्बन्धित दस्तावेज पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

347. संकल्प

मु.अ.अ. ने बोर्ड को अधिकारिक के अभ्यवेदन के बारे मे बताया एवं विषय पर सीवीसी निर्देशों का संदर्भ देते हुए सूचित किया कि निर्देश निलंबित किए गए अधिकारिक को जमानत पर रिहा होने पर बहाल करने की अनुमति देते है। मु.अ.अ ने बोर्ड को अभ्यवेदन पर विचार करने एवं औपचारिक आदेश जारी करने का सुझाव दिया।

विचार किया गया। श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य ने कहा कि व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस थाना, सदर बाजार मे अपराधिक मुकदमा दर्ज है एवं वह केवल जमानत पर रिहा हुए है । उन्हे अपराधिक मामले मे बरी नही किया गया है एवं उन्हे पहले ही आरोप पत्र मिला हुआ है जिसकी जांच जांच अधिकारी/निदेशक रक्षा सम्पदा, मध्य कमान लखनऊ द्वारा की जा रही है। उन्होने विरोध किया कि सीसीएस सीसीए नियमावली 1965 के नियम 10(1)(5) के अनुसार सीवीसी दिशानिर्देश छावनी परिषद कर्मचारियों पर लागू नही है। उनकी सेवाएं छावनी निधि सेवक नियमावली, 1937 के द्वारा नियंत्रित है, अतः नियमानुसार बोर्ड व्यक्ति को बहाल करने के लिए बाध्य नही है बल्कि बोर्ड को जांच अधिकारी को जांच जल्द पूरा करने का अनुरोध करना चाहिए एवं जब तक जांच रिपोर्ट प्राप्त न हो अधिकारिक को बहाल करने के लिए कोई निर्णय नही लिया जाना चाहिए।

कर्नल सुबोध गर्ग ने कहा कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने छावनी परिषद द्वारा श्रीमती पुष्पा देवी के विरूद्ध दायर की गई याचिका मे अपने निर्णय आदेश दिंनाक 29.01.2014 के माध्यम से यह आदेश दिया था कि बंगला संख्या 210 बी, वेस्ट एंड रोड, मेरठ छावनी मे बिल्डर द्वारा किए गए निर्माण मे शामिल अधिकारिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए परन्तु अभी तक किसी अधिकारिक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। इसके अलावा, श्री अनुज सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट के लिए ढाई साल से ज्यादा समय से लंबित है एवं पिछले एक साल के दौरान जांच आगे भी नही की गई है। सीवीसी के दिशा निर्देश एवं सीसीएस सीसीए नियमावली, 1965 के प्रावधान छावनी परिषद कर्मचारियों पर लागू नही है, अतः श्री अनुज सिंह को बहाल करने का कोई आधार नही है।

मु.अ.अ. द्वारा बोर्ड के संज्ञान मे लाया गया कि श्री अनुज सिंह के विरूद्ध 07 आरोपों पर जांच वर्ष 2013 मे शुरू की गई थी एवं मामले की मौजूदा स्थिति की कोई जानकारी नही है एवं 07 कथित आरोपों का के आधार पर, उन्हे निलंबित नही राखना चाहिए। इसमे भी कोई दौराय नही है, पुलिस हिरासत मे 48 घंटों से अधिक होने पर निलंबन होना चाहिए था एवं उनका निलंबन नियमानुसार किया गया परन्तु वर्तमान मे, उन्हे निलंबित करने का कोई कारण नही है। इसमे भी कोई संशय नही है कि छावनी परिषद कर्मचारी न तो केन्द्र सरकार के और न ही राज्य सरकार के कर्मचारी है परन्तु वह छावनी परिषद के कर्मचारी है जो छावनी निधि सेवा नियमावली, 1937 के अंतर्गत नियंत्रित है। हालाकि, निलंबन पर सीवीसी दिशा निर्देश सभी प्राधिकारियों पर लागू है। असल मे, व्यक्ति को पुलिस हिरासत मे 48 घंटो से अधिक रहने के कारण निलंबित किया गया था एवं सीवीसी दिशा निर्देश साफ कहते है कि हिरासत से बाहर आने पर, व्यक्ति को बहाल समझा जाए, नियुक्ति अधिकारी का बहाली के सम्बन्ध मे आदेश मात्र एक आवश्यक औपचारिकता है एवं व्यक्ति को आगे निलंबित रखने का कोई आधार नही है। अतः बोर्ड को कि सीवीसी दिशा निर्देशों के आलोक मे व्यक्ति को बहाल करने के लिए विचार करने पडेगा।

श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य ने आगे कहा कि श्री अनुज सिंह को गिरफतार किया गया था क्योकिं उनके एवं अन्य के विरूद्ध अन्य धारओं के साथ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी एवं यह कि वह केवल जमानत पर रिहा हुए है एवं धारा 302 के अंतर्गत आरोप अभी भी लागू है। मु.अ.अ. ने जिला न्यायालय मेरठ द्वारा पारित जमानत आदेश का संदर्भ दिया एवं स्पष्ट किया कि धारा 302 पुलिस द्वारा प्रारंभ मे लगाई गई थी जिसे आई.पी.सी की धारा 304 ए मे बदल दिया गया है एवं श्री अनुज सिंह को सम्बन्धित धारा मे बदलाव के पश्चात ही जमानत दी गई है। अध्यक्ष छावनी परिषद का मानना था कि किसी के साथ कोई अन्याय नही होना चाहिए परन्तु इसके साथ साथ बोर्ड की साख को हानि पहुंचाने की भी अनुमति नही दी जाए।

विचार एवं विस्तृत चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि पुलिस द्वारा श्री अनुज सिंह एवं अन्य के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे दाखिल किए आरोप पत्र के लंबित रहने तक, मामले को स्थगित कर दिया जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि श्री अनुज सिंह को दिए जाने वाले निर्वाह भत्ते मे 50प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए जो बोर्ड के निलंबन की समीक्षा के पश्चात लागू है। मु.अ.अ. ऐसा भुगतान करने के लिए अधिकृत है।

३४८. छावनी परिषद् द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के तकनीकी निरीक्षण एवं निगरानी तीसरी पार्टी से कराना।

निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 43376/जैन/एलसीपी(5) दिनाक 10.10.2016 के माध्यम से दिए गए निर्देशों को नोट करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि प्रधान निदेशालय रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ ने छावनी परिषदों द्वारा कराए जाने वाले सभी वास्तविक एवं रखरखाव दोनों कार्यों मे पारदर्शिता, प्रभावी बनाने के लिए जांच की सही प्रणाली बनाने के निर्देश दिए है। कार्यों को कराने के लिए निम्न का अवलोकन किया जाएः–

1. छावनी परिषद् द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की समय समय पर गुणवत्ता की जांच कराए जाने के लिए तीसरी पार्टी जैसे आईआईटी, इंजीनियर इण्डिया लि0, सरकारी अभियांत्रिक कॉलेज या पीडब्लूडी को 15.11.2016 से पहले नियुक्त किया जाए।

2. उपरोक्त उददेश्य के लिए होने वाले खर्च को बजट मे तीसरी पार्टी तकनीकी निरीक्षण की नियुक्ति से शामिल किया जाए।

3. तकनीकी निरीक्षक द्वारा किए जाने वाली गुणवत्ता की जांच न केवल वास्तविक कार्यों मे होगी बल्कि बडी मरम्मत/ सडकों/नालियों का जीर्णोद्वार/आदि जिसमें पर्याप्त निधि भी तकनीकी निरीक्षकों द्वारा निकाली जाएगी।

4. स्थान पर कराए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट समय समय पर तकनीकी निरीक्षकों से ली जा एवं उसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही भी की जाए।

5. तकनीकी निरीक्षकों की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष समय समय पर रखी जाए।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि निविदा प्रपत्र बनाते समय उन सभी कंडिकाओं को शामिल किया जाए जिससे सरकार/बोर्ड के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। तकनीकी निरीक्षकों द्वारा तकनीकी निरीक्षण कराने की कंडिका भी आंकलन एवं निविदा प्रपत्र मे शामिल किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छावनी निधि संहिता, वित्तीय नियमों के आवश्यक प्रावधानों, सीवीसी के निर्देशों को पूर्णतः ध्यान रखे जाए। तकनीकी स्टाफ जैसे सीईई, जेई एवं एई आदि कार्यों को कराने, नाप किताबों के रखरखाव, बिलों को तैयार करने आदि के लिए पूणर्त जिम्मेदार होंगे।

सम्बन्धित दस्तावेज पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड नोट कर विचार करे।

348. संकल्प

मु.अ.अ ने निदेशालय रक्षा सम्पदा के पत्र को पढकर सुनाया एवं उसे बोर्ड के सभी सदस्यों को समझाया। उन्होने सुझाया कि बोर्ड को निदेशालय के पत्र का पालन करें एवं तृतीय पक्ष परीक्षक तकनीकी परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि उन्होने पहले ही आई.आई.टी रूडकी एवं पीडब्लूडी मेरठ को उनकी तृतीय पक्ष परीक्षक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है।

विचार कर निदेशालय रक्षा सम्पदा के पत्र को नोट किया गया। बोर्ड सर्वसम्मति से प्रस्ताव के पक्ष मे था। बोर्ड ने मु.अ.अ. की कार्यवाही को भी अनुमोदित किया। सम्पर्क किए पक्षों

से प्राप्त होने वाले व्यौरे को बोर्ड के समक्ष लाया जाए एवं तृतीय पक्ष परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

३४९. सी.ए.बी इण्टर कॉलेज, मेरठ छावनी के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की अवधि का विस्तारण।

सी.ए.बी इण्टर कॉलेज, मेरठ छावनी मे मै0 जी–नेट कम्पयूटर एवं मोबाईल टैक्नोलॉजी, मेरठ नामक एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रहे व्यासायिक पाठ्यक्रमों की अवधि को बढाने पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि सी.ए.बी इण्टर कॉलेज, मेरठ छावनी मे व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए ईओआई आमंत्रित की गई थी एवं बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 38 दिंनाक 16.09.2015 के माध्यम से मै0 जी–नेट कम्पूटर एवं मोबाईल टैक्नोलॉजी, मेरठ द्वारा उद्वत दरों को अनुमोदित किया एवं विद्यार्थियों से शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया।

निविदा की नियम एवं शर्तों की कंडिका 1 के अनुसार निविदा की प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष होगी जिसे 03 वर्षों के लिए बढाया जा सकता है।

बोर्ड को सूचनीय है कि कथित निविदा दिंनाक 07.10.2016 को समाप्त हो चुकी है। प्रधानाचार्य, सी.ए.बी इण्टर कॉलेज ने रिपोर्ट की कि संस्था की सेवाएं संतोषजनक है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

349. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि मै0 जीनेट कम्पयुटर एवं मोबाईल टैक्नॉलोजी की निविदा अवधि को 01 अन्य वर्ष के लिए बढा दिया जाए।

३५०. शपथ ग्रहण

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्य बनने पर मेजर मनमोहन एस बरार, एसएचओ, एमएच मेरठ छावनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराना।

350. संकल्प

मेजर मनमोहन एस बरार ने बोर्ड का पदेन सदस्य होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अंतर्गत भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ग्रहण की।

३५१. छावनी अधिनियम, २००६ की धारा २६ के अंतर्गत की गई कार्यवाही।

गाँधी बाग मे पार्किंग के ठेका जो बोर्ड द्वारा छा0बो0स0 संख्या 229 दिंनाक 10.06.2016 के माध्यम से श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री परमात्मा शरण, 11/1, माधो नगर, मेरठ के नाम पर एक वर्ष की अवधि हेतु अनुमोदित किया गया था परन्तु ठेकेदार द्वारा जनता से अधिक दर से पार्किंग शुल्क वसूलते वसूलते हुए निविदा के नियम एवं शर्तों का उलंघन करने के कारण निविदा को समाप्त करने के सम्बन्ध मे मु.अ.अ. द्वारा अध्यक्ष छावनी परिषद की पूर्व अनुमति से छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 26 के अंतर्गत की गई कार्यवाही को नोट करने हेतु।

351. संकल्प

नोट कर अनुमोदित किया गया।

३५२. वित्त समिति का गठन

छावनी परिषद् मेरठ हेतु बनाए गए व्यापार विनियमन के विनियम संख्या 34 के अंतर्गत छावनी परिषद् मेरठ में वित्त समिति के गठन का विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि वित्त समिति का गठन बोर्ड द्वारा छा0बो0स0 संख्या 9 दिंनाक 16.09.2016 के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था जो 15.09.2016 को समाप्त हो चुकी है। अब, एक वर्ष के लिए नई वित्त समिति का गठन किया जाना है जिसमें ऐसे सदस्यों की संख्या होती है जैसे कि उचित समझें।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर उचित निर्णय लें।

352. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि वित्त समिति का निम्नलिखित सदस्यों को रखते हुए 01 वर्ष के लिए गठन किया गयाः–

1. कर्नल सुबोध गर्ग, मनोनीत सदस्य
2. कर्नल ए0के0 वैद्य, मनोनीत सदस्य
3. श्री नीरज राठौर, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 4
4. श्रीमती मन्जू गोयल, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 6
5. श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 8

श्री राजीव श्रीवास्तव, मु.अ.अ वित्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

३५३. सामान्य समिति का गठन

छावनी परिषद् मेरठ हेतु बनाए गए व्यापार विनियमन के विनियम संख्या 34 के अंतर्गत छावनी परिषद् मेरठ की सामान्य समिति के गठन का विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि सामान्य समिति का गठन बोर्ड द्वारा छा0बो0स0 संख्या 10 दिंनाक 16.09.2016 के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था जो 15.09.2016 को समाप्त हो चुकी है। अब, एक वर्ष के लिए नई सामान्य समिति का गठन किया जाना है जिसमें ऐसे सदस्यों की संख्या होती है जैसे कि उचित समझें।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर उचित निर्णय लें।

353. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि सामान्य समिति का निम्नलिखित सदस्यों को रखते हुए 01 वर्ष के लिए गठन किया गयाः–

1. कर्नल ए0के0 वैद्य, मनोनीत सदस्य
2. श्रीमती रिनी जैन, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 1
3. श्रीमती बुशरा कमाल, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 2
4. श्री अनिल जैन, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 5
5. श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य वार्ड संख्या 7

श्री राजीव श्रीवास्तव, मु.अ.अ वित्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

३५४. माह अगस्त २०१६ के मासिक लेखे : २०१६–१७

माह अगस्त 2016 का प्राप्ति एवं व्यय का लेखे निम्न है ।

प्राप्ति

अगस्त 16 के प्रथम दिन ओपनिंग बेलेन्स	रु	83,50,884.79

माह अगस्त 16 के दौरान प्राप्ति	रु	13,11,05,252.00
योग–	**रु**	**13**,94,56,136.79

व्यय

माह अगस्त 16 के दौरान व्यय	रु	4,39,30,940.00
माह अगस्त 16 के दौरान अल्प अवधि निवेश	रू	8,50,00,000.00

अंतिम शेष

अगस्त 16 के अंतिम दिन क्लोजिंग बेलेन्स	रु	1,05,25,196.79

पेंशन फंड

अगस्त 2016 के प्रथम दिन ओपनिंग बेलेन्स	रू	23,87,472
माह अगस्त 2016 के दौरान जमा	रु	10,00,000
योग	**रु**	**33,87,472**
माह अगस्त 2016 के दौरान व्यय बैंक चार्ज	रु	30,90,054
अगस्त 2016 के अंतिम दिन क्लोजिंग बेलेन्स	रु	**2,97,418**

निधि का निवेश

ओपनिंग बेलेन्स	रू	14,69,97,000
जल परियोजना हेतु विशेष अनुदान रू 21997000 भी शामिल		
माह अगस्त 2016 के दौरान अल्प अवधि हेतु जमा	रू	8,50,00,000
अगस्त 16 के अंतिम दिन बेलेन्स	रू	23,19,97,000

माह अगस्त 2016 के दौरान मदवार प्राप्तियों एवं व्यय का सारांश पटल पर प्रस्तुत है ।

354. संकल्प

नोट कर अनुमोदित किया गया। आगे निर्णय लिया गया कि स्वीकृत बजट प्रावधान एवं निधि की उपलब्धता पर इण्टर लॉकिंग टाईल्स बिछाने के सभी 08 वार्डों को रू 10 लाख प्रति वार्ड आवंटित किया गया। मु.अ.अ ने निविदा की मौजूदा मूल्यांकन बताया एवं नई निविदाएं आमंत्रित करने का सुझाव दिया। हालाकि, बोर्ड ने निर्णय लिया कि उसी ठेकेदार का उसी दर एवं शर्तो पर 01 एक अन्य वर्ष के लिए इसलिए बढाया गया कि इस कार्य को कराने के लिए इस वित्तीय वर्ष मे ज्यादा समय नही बचा है एवं सार्वजनिक कार्यों पर उल्टा प्रभाव डालेगा। मौजूदा निविदा की दरें उचित है अतः उसे बढाया गया।

आईटम सं0–354, 355, 356 में नोट कर अप्रूव करने हेतु

जनहित के काफी कार्य पिछले कई वर्षो से छावनी क्षेत्र में नहीं हो पा रहे थे। क्योकि उस वक्त छावनी बोर्ड प्रशासन पर धन का अभाव था। जैसे कि उपरोक्त सभी आईमटों में मासिक लेखा–जोखा बोल रहा हैं। इसके हिसाब से लगभग छावनी परिषद एकाउन्ट में 23 करोड़ रूपये बकाया मौजूद है।

इस समय वार्डों में इन्टरलाकिंग के कार्यों की बहुत सख्त जरूरत है। आठों वार्डों में इन्टरलाकिंग कार्य की मद में 10–10 लाख रूपये प्रति वार्ड आवंटन करते हुए मौजूदा ठेकेदार और उसके ठेके को उसी दर और शर्तों पर आगे बढ़ा दिया जाये।

इसी प्रकार सड़कों की स्थिति भी बहुत खराब है और लगभग 2 करोड़ रूपये के सड़क के कार्य पिछली बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये थे। अतः आवंटित बजट के आधार पर पुराना सड़क का कार्य जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाये और सड़कों की डैन्स कारपेटिंग के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था 3 करोड़ की जाये और मौजूदा ठेकेदार व उसे ठेके को उसी दर और शर्तों पर आगे बढ़ा दिया जाये।

Sd/xxx (बीना बाधवा)	Sd/xxx (मंजू गोयल)	Sd/xxx (बुशरा कमाल)
Sd/xxx (रिन्नी जैन)	Sd/xxx (नीरज राठौर)	Sd/xxx (अनिल जैन)
Sd/xxx (धर्मेन्द्र सोनकर)	Sd/xxx (विपिन सोढी)	

३५५. माह सितम्बर २०१६ के मासिक लेखे : २०१६-१७

माह सितम्बर 2016 का प्राप्ति एवं व्यय का लेखे निम्न है ।

प्राप्ति

सितम्बर 16 के प्रथम दिन ओपनिंग बेलेन्स	रु	1,05,25,196.79
माह सितम्बर 16 के दौरान प्राप्ति	रु	7,86,58,433.00
(रू 3,11,88,613 अनुदान आवंटन एवं अल्प अवधि एफडीआर रू 2,50,00,000 भी शामिल)		
योग–	**रु**	**8**,91,83,629.79

व्यय

माह सितम्बर 16 के दौरान व्यय	रु	4,14,13,476.08

अंतिम शेष

सितम्बर 16 के अंतिम दिन क्लोजिंग बेलेन्स	रु	4,77,70,153.71

पेंशन फंड

सितम्बर 2016 के प्रथम दिन ओपनिंग बेलेन्स	रू	**2,97,472**
माह सितम्बर 2016 के दौरान जमा	रु	120,00,000
बचत पेंशन खाते मे प्राप्त ब्याज	रू	23,995
योग	**रु**	**1,23,21,413**
माह सितम्बर 2016 के दौरान व्यय बैंक चार्ज	रु	1,18,26,309
सितम्बर 2016 के अंतिम दिन क्लोजिंग बेलेन्स	रु	**4,95,104**

निधि का निवेश

ओपनिंग बेलेन्स	रू	23,19,97,000
जल परियोजना हेतु विशेष अनुदान रू 21997000 भी शामिल		
माह सितम्बर 2016 के दौरान अल्प अवधि हेतु जमा	रू	2,50,00,000
सितम्बर 16 के अंतिम दिन बेलेन्स	रू	20,69,97,000

माह सितम्बर 2016 के दौरान मदवार प्राप्तियों एवं व्यय का सारांश पटल पर प्रस्तुत है ।

355. संकल्प

नोट कर अनुमोदित किया गया।

३५६. माह अक्टुबर २०१६ के मासिक लेखे : २०१६-१७

माह अक्टुबर 2016 का प्राप्ति एवं व्यय का लेखे निम्न है ।

प्राप्ति

अक्टुबर 16 के प्रथम दिन ओपनिंग बेलेन्स	रु	4,77,70,153.71
माह अक्टुबर 16 के दौरान प्राप्ति	रु	5,75,44,964.00
(रू 5,00,00,00 की अल्प अवधि एफडीआर के साथ रू 14,67,447/– भी शामिल)		
योग–	**रु**	**10**,53,15,117.71

व्यय

माह अक्टुबर 16 के दौरान व्यय	रु	7,73,70,545.23

अंतिम शेष

अक्टुबर 16 के अंतिम दिन क्लोजिंग बेलेन्स	रु	2,79,44,572.48

पेंशन फंड

अक्टुबर 2016 के प्रथम दिन ओपनिंग बेलेन्स	रू	4,95,104
माह अक्टुबर 2016 के दौरान जमा	रु	1,77,00,000.00
बचत पेंशन खाते मे प्राप्त ब्याज	रू	33,204.00
योग	**रु**	**1,82,28,308.00**
माह अक्टुबर 2016 के दौरान व्यय बैंक चार्ज	रु	1,72,73,258.25
अक्टुबर 2016 के अंतिम दिन क्लोजिंग बेलेन्स	रु	9,55,049.75

निधि का निवेश

ओपनिंग बेलेन्स	रू	20,69,97,000
जल परियोजना हेतु विशेष अनुदान रू 21997000 भी शामिल		
माह अक्टुबर 2016 के दौरान अल्प अवधि हेतु जमा	रू	5,00,00,000
अक्टुबर 16 के अंतिम दिन बेलेन्स	रू	15,69,97,000

माह अक्टुबर 2016 के दौरान मदवार प्राप्तियों एवं व्यय का सारांश पटल पर प्रस्तुत है ।

356. संकल्प

नोट कर अनुमोदित किया गया।

३५७. छावनी परिषद् मेरठ को एक वर्ष हेतु अति कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानवश्रम उपलब्ध कराने हेतु संविदा पर एजेंसी की नियुक्ति।

छावनी परिषद् मेरठ को एक वर्ष हेतु अति कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानवश्रम उपलब्ध कराने हेतु संविदा पर एजेंसी की नियुक्ति एवं उसके द्वारा उद्वत दरों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु।

Sl. No.	Name of Agency	Rates for service charges of agency for Highly Skilled Manpower. Total Min. Wages : Rs.13786 (Incl EPF & ESI subs)			Rates for service charges of agency for Skilled Manpower Clerk, Lib cum Clerk, MPA, Draughtman, Electrician, Pharma etc. Total Min. Wages : 12525 (Incl EPF & ESI subs)			Rates for service charges of agency for Semi- Skilled Manpower Driver, OT Astt etc. Total Min Wages : 10679 (Incl EPF & ESI Subs)			Rates for service charges of agency for Unskilled Manpower Safaikarmchari, Beldar, Watchman, Mali , Peon etc. Total Min. wages : 9447 (Incl EPF & ESI Subs)		
		ंजम वि ैमतअपबम बींतहम वि ंहमदबल	ैमतअपबम जंगं ंचचसपबंइसम	ज्वजंस ॅहमे	ंजम वि ैमतअपबम बींतहम वि ंहमदबल	ैमतअपबम जंगं ंचचसपबं इसम	ज्वजंस ॅहमे	ंजम वि ैमतअपबम बींतहम वि ंहमदबल	ैमतअपबम जंगं ंचचसपबं इसम	ज्वजंस ॅहमे	ंजम वि ैमतअपबम बींतहम वि ंहमदबल	ैमतअपबम जंगं ंचचसपबं इसम	ज्वजंस ॅहमे
1	M/s Alaknanda Associates	137.86 per head per month	N.A.	**13923.86/-**	125.25 per head per month	N.A.	**12650.25**	106.79 per head per month	N.A.	**10785.79**	94.47 per head per month	N.A.	**9541.47/-**
2	M/s Klarke Facility Management Pvt. Ltd.	100/- per head per month	2083/-	**15969/-**	100/- per head per month	1894/-	**14519.00**	100/- per head per month	1617/-	**12396.00**	100/- per head per month	1432/-	**10979.00**
3	M/s A.K Enterprises	180.00 per head per month	N.A	**13966.00**	162.00 per head per month	N.A	**12687.00**	135.00 per head per month	N.A	**10814.00**	126.00 per head per month	N.A	**9573.00**
4	M/s H.S. Service Providers	1378.60 per head per month	2274.69	**17439.29**	1252.50 per head per month	2066.62	**15844.12**	1067.90 per head per month	1762.03	**13508.93**	944.70 per head per month	1558.75	**11950.45**
5	M/s Sachin Gagat & Bro.	310.00 per head per month	2114	**16210.00**	282.00 per head per month	1921	**14728.00**	240.00 per head per month	1638	**12557.00**	212.00 per head per month	1449.00	**11108.00**

कार्यालय रिपोर्ट :–

- बोर्ड को सूचनीय है कि निदेशालय रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी ने पत्र संख्या 53183/वीआईपी रेफ–259/कैन्ट/2016 दिंनाक 29 अगस्त 2016 के माध्यम से कडे निर्देश जारी किए है कि संविदा कर्मी एवं सफाईकर्मचारी की नियुक्ति आउटसोर्सिंग माध्यम से प्रतिष्ठित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही की जाएगी।
- बोर्ड को सूचनीय है कि निविदा दस्तावेज की कंडिका 21 के अनुसार अनुबंध तैयार करने के लिए स्टैम्प शुल्क एवं अन्य कर अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। एजेंसी की ओर से चूक की स्थिति मे, वह उनकी सिक्योरिटी राशि से वसूला जाए। छावनी परिषद मेरठ ऐसे किसी भुगतान/कर्ज की जिम्मेदार नही होगा।
- कार्यालय ने दिंनाक 20.09.2016 को अखबार दैनिक हिन्दुस्तान मे विज्ञापन देकर ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ई–निविदाएं आमंत्रित की थी।
- उपरोक्त एजेंजियों से जांच निविदाएं प्राप्त हुइ जिनकी तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली क्रमशः खोली गई।
- प्रतिभागी फर्मों ने अपनी वित्तीय बोलियों पर निम्न उद्वत कियाः–
  1. **मै0 सचिन गगाट एंड ब्रो** ने लिखा है कि यदि सेवा चार्ज 2 प्रतिशत या उससे कम है तो टीडीएस काटने के पश्चात दरें न्यूनतम मजदूरी से कम हो जाएंगे।
  2. **मै0 ए.के एंटरप्राईजेस** ने अपने उल्लिखित किया है कि अधिसूचना संख्या 7/2015 – सविस टैक्स दिंनाक 01.03.2016 के अनुसार सेवा कर उन पर लागू नही है।
  3. मै0 अलकनंदा एसोसिएट ने लिखा कि सेवा कर सेवा उपलब्ध कराने वाले पर नही लगता है। सरकारी आदेशानुसार यह सेवा प्राप्त करने वाले पर लगता है।

  सम्बन्धित पत्रावली संख्या आउटसोर्सिंग/जी/एडम/2016–17 पटल पर प्रस्तुत है। बोर्ड से अनुरोध है विचार कर मामले पर आवश्यक निर्णय ले।

357. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। वित्त समिति अपनी बैठक कल दिंनाक 23.11.2016 को करेगी एवं अपनी संस्तुति देगी जो बोर्ड के समक्ष अगली बैठक मे लाई जाएगी।

३५८. निर्णय

निम्नलिखित मामलों मे अपीलीय अधिकारी जो कि निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी है के द्वारा लिए गए निर्णयों को नोट करने एवं प्राप्त आदेशों के अनुसार आगे की कार्यवाही करने हेतु।

क्रम संख्या	अपील संख्या	अपीलार्थी का नाम एवं सम्पत्ति संख्या	आदेश की तिथि	नोटिस संख्या एवं तारिख	आदेश
1	आदेश दिंनाक 26.09.2016	श्री राकेश सोमानी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण सोमानी, मकान संख्या 71–72, 102–110/भाग नया बाजार, सदर मेरठ छावनी	26.09.2016	No. Misc/1475/E7A dated 26.11.2007	अपील को खारिज किया गया (अपील को समय समाप्त होने के कारण स्वीकार नही किया गया)
2	आदेश दिंनाक 29.08.2016	श्री महीपाल सिंह बंगला संख्या 207, वेस्ट एंड रोड सदर मेरठ छावनी	29.08.2016	No. Misc/1182/E7A dated 27.07.2010	अपील को खारिज किया गया (अपील को

					समय समाप्त होने के कारण स्वीकार नही किया गया)

उपरोक्त अपीलों को अपीलीय अधिकारी, मुख0 मध्य कमान, लखनऊ छावनी द्वारा खारिज किया गया है। अवैधनिर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए जिसमे नोटिस प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को ध्वस्त/हटाने के लिए कहा जाए।

सम्बन्धित अभिलेखों सहित सम्पूर्ण पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय लें।

358. संकल्प

नोट किया गया। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के अंतर्गत अवैधनिर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया जाए कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर अवैध निर्माणों को हटा/ध्वस्त कर ले, असफल रहने की स्थिति मे धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए 07 दिनों का समय दिया जाए। नोटिस का अनुपालन न होने की स्थिति मे छावनी परिषद द्वारा अवैध निर्माण को आवश्यक प्रशासनिक मदद से, यदि आवश्यकता हो एजेंसी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया जाए।

३५९. निर्णय ।

निम्नलिखित मामलों मे अपीलीय अधिकारी जो कि जीओसी इन चीफ, मध्य कमान, लखनऊ छावनी है के द्वारा लिए गए निर्णयों को पढने एवं नोट करने हेतु।

क्रम संख्या	अपीलार्थी का नाम	निर्णय की तिथि	नोटिस संख्या एवं तारिख	आदेश
1	अपील संख्या 01/2013 श्री मोहित बालियान पुत्र श्री चंद्र पाल फौजी बंगला संख्या 8 आर.ए लाईन, मेरठ छावनी	23.08.2016	93/बी/ई7ए/1861 दिंनाक 08.10.2012	अपील खारिज की गई

अपील अपीलीय अधिकारी, मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ छावनी द्वारा खारिज कर दी गई। अवैधनिर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए जिसमे नोटिस प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को ध्वस्त/हटाने के लिए कहा जाए।

सम्बन्धित अभिलेखों सहित सम्पूर्ण पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

359. संकल्प

नोट किया गया। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के अंतर्गत अवैधनिर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया जाए कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिनों का समय देते हुए अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले, असफल रहने की स्थिति मे छावनी परिषद द्वारा अवैध निर्माण को आवश्यक पुलिस मदद, यदि आवश्यकता हो एजेंसी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया जाए।

३६०. अपील संख्या ०६/२०१२, अपीलीय अधिकारी के आदेश

अपील संख्या 06/2012, तारा चंद शास्त्री बनाम कैन्ट बोर्ड मेरठ मे अपीलीय अधिकारी/ जीओसी इन चीफ, मध्य कमान लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देश दिंनाक 08.06.2016 पर विचार करने हेतु।

अपीलीय अधिकारी मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ ने कहा कि छावनी परिषद मेरठ अपीलीय अधिकारी एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 10/(60)/2002–डी(क्यू एवं सी) दिंनाक 06 जून 2003 के आदेश के अनुसार रक्षा मंत्रालय से अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की अनुमति नही ले रहा है। छावनी परिषद की बैठक मे मामले पर चर्चा नही की गई है।

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री ताराचंद शास्त्री द्वारा वर्ष 2011 मे बंगला संख्या 234 भाग, वेस्ट एंड रोड, मेरठ छावनी के खुले मैदान मे अवैध निर्माण किया गयां अवैधनिर्माणकर्ता पर छावनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक नोटिस लगाए गए एवं अवैध निर्माणकर्ता ने अपीलीय अधिकारी जो कि जीओसी–इन–चीफ, मध्य कमान, लखनऊ है के समक्ष छावनी अधिनियम 2006 की धारा 340 के अंतर्गत अपील की है। अपीलीय अधिकारी ने अपील सुनी एवं अपने आदेश दिंनाक 23.11.2015 के माध्यम से खारिज की है जो कि अवैध निर्माणकर्ता को 27. 01.2016 को दे दिया गया था।

अवैध निर्माणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक दायर याचिका संख्या 5685/2016 तारा चंद शास्त्री बनाम छावनी परिषद् मेरठ एवं अन्य के नाम से दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिंनाक 10.02.2016 के माध्यम से पक्षों को जगह पर स्थिति बरकार रखने का निर्देश दिया है। छावनी परिषद ने मामले पर काउंटन एफीडेफिट दायर कर दिया है एवं मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है।

सम्बन्धित अभिलेख सहित पूर्ण पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि विचार कर निर्णय ले।

360. संकल्प

बोर्ड ने मामले के तथ्यों एवं स्थिति पर कार्यसूची मे उल्लिखित लंबित दायर याचिका एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश/सर्कुलर पर विशिष्ट संदर्भ लेते हुए विचार किया एवं यह नोट किया कि चुकि यह वाद निर्देशों के अंतर्गत नही आता है, रक्षा मंत्रालय को अनुमति हेतु किए गए संदर्भ की काई आवश्यकता नही थी। मु.अ.अ बोर्ड की ओर से उनके विचार के आधार पर दृष्टिकोण अपीलीय अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए अधिकृत है।

आगे यह निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माण करने की जानकारी के अनुसार छावनी कानूनी सलाहकार की सलाह लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा लंबित दायर याचिका मे यथास्थति के आदेश की अवहेलना के लिए आवश्यक अवमानना प्रार्थना पत्र लगाया जाए।

सभी निर्वाचित सदस्यों ने लिखित नोट दिया जो चस्पा ळें

<u>आईटम सं0–360 में नोट करने हेतु</u>

इस बंगले में मौके पर जो अवैध निर्माण खड़ा है और जो अवैध निर्माण कार्यालय में दी गई रिपोर्ट में दर्शाया है जिस पर अपील हुई थी, वो एक–दूसरे से मेल नही खाते है। रिपोर्ट में निर्माण कम है, मौके पर निर्माण ज्यादा है। इसलिए इससे पहले की बोर्ड इस मामले में विचार कर निर्णय ले कि, यह आवश्यक है कि इस बिल्डिंग का निरीक्षण सम्बन्धित जे0ई0, जी0ई0 साउथ व सम्बन्धित वार्ड मेम्बर के साथ करा लिया जाये और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ यह बिन्दु आगामी बोर्ड बैठक में विचार किया जाये।

Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
(बीना बाधवा)	(मंजू गोयल)	(बुशरा कमाल)
Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
(रिन्नी जैन)	(नीरज राठौर)	(अनिल जैन)
Sd/xxx	Sd/xxx	
(धर्मेन्द्र सोनकर)	(विपिन सोढी)	

३६१. वर्ष २०१६–१७ के लिए व्यापार के लाईसेंस देना

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 277 के प्रावधान के अंतर्गत व्यापार के लाईसेंस देने के लिए प्रार्थना पत्रों पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा के प्रावधान के अंतर्गत व्यापार के लाईसेंस जारी करने के लिए मेरठ छावनी की सीमा मे कुल 28 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। अवर अभियंता (सिविल) ने सभी प्रार्थना पत्रों को जांचा एवं पाया कि क्रम संख्या 1 से 15 (कुल 15) ने सरकारी भूमि पर कोई अवैध निर्माण, उददे्श्य का परिवर्तन अथवा अतिक्रमण नही किया है, जिनको क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई उददे्श्य के लिए संस्तुति की गई है। क्रम संख्या 16 से क्रम संख्या 28 तक (कुल 13) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, उददे्श्य परिवर्तन अथवा अवैध निर्माण के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

प्रार्थना पत्रों की सूची एवं सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

361. संकल्प

बोर्ड ने विचार कर निर्णय लिया कि व्यापार लाईसेंस शुल्क वसूली मे वृद्धि के लिए एवं छावनी क्षेत्र मे ऐसे व्यापारों को चलाने के लिए बिना छावनी परिषद, मेरठ के कानूनी अधिकारों को हानि पहुचाएं सभी आवेदकों को लाईसेंस जारी कर दिए जाए। ट्रेड लाईसेंस देने पर रोक, हटाने से जो बोर्ड द्वारा स्वयं लगाई गई, अधिक राजस्व आने की आशा है

३६२. मेरठ छावनी की सीमा मे शराब की बिक्री के लिए लाईसेंस जारी करने के सम्बन्ध मे प्रतिवेदन।

मेरठ छावनी की सीमा मे शराब की बिक्री के लिए लाईसेंस जारी करने के लिए बोर्ड द्वार बढाए गए शुल्क के सम्बन्ध मे विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 276 दिंनाक 10.06.2016

बोर्ड को सूचनीय है कि संदर्भित छा0बो0स के अनुपालन मे, कार्यालय ने पत्र संख्या 87/सी/ट्रेड लाईसेंस/2016–17/1670 दिंनाक 21.10.2016 के माध्यम से मै0 एक्यूरेट फूड एवं ब्रिवरेजिस प्रा0 लि0 को, मै0 राजमहल बार एवं रेस्तरां को कार्यालय पंत्राक 87/सी/ट्रेड लाईसेंस/2016–17/1671 दिंनाक 21.10.2016 एवं मै0 इण्डाना बार एवं रेस्तरां को पंत्राक 87/सी/ट्रेड लाईसेंस/2016–17/1672 दिंनाक 21.10.2016 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज एवं वर्ष 2016–17 के लाईसेंस शुल्क 03 दिनों के भीतर प्रेषित करने के लिए कहा गया, असफल होने की स्थिति छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत सील करने की कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी, उपरोक्त कार्यालय पत्र के उत्तर मे, मै0 एक्यूरेट फूडस एंड ब्रिवरेज प्रा0 लि0 पत्र दिंनाक शून्य जो 05.11.2016 को प्राप्त हुआ के माध्यम से कहा कि कार्यालय का पत्र अवैध, असंवैधानिक एवं नियम के खिलाफ है एवं शराब की दुकान की लाईसेंस शुल्क लगाना अधिकार क्षेत्र मे नही है एवं वह बोर्ड द्वारा लगाए गए उचित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होने यह भी अनुरोध किया कि कार्यालय पत्र वापस लिया जाए एवं कोई कार्यवाही न की जाए परन्तु उपरोक्त फर्म ने न तो आवश्यक दस्तावेज जमा किए और न ही व्यापार शुल्क जमा किया।

मै0 इंडाना बार एवं रेस्तरां ने पत्र दिंनाक 05.11.2016 के माध्यम से यह भी कहा कि कार्यालय पत्र अवैध, असंवैधानिक एवं नियम के खिलाफ है एवं शराब की दुकान की लाईसेंस शुल्क लगाना अधिकार क्षेत्र मे नही है एवं वह बोर्ड द्वारा लगाए गए उचित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। मामले मे विवाद फर्म के बीच सिविल कोर्ट सूट संख्या 649/2014, श्रीमती गुरबचन कौर सेठी बनाम छावनी परिषद मेरठ एवं न्यायालय ने बोर्ड के विरूद्ध स्टे प्रदान किया है, अतः कार्यालय द्वारा कथित सूट के निर्णय तक कोई कार्यवाही नही की है। उन्होने यह भी अनुरोध किया है कि कार्यालय पत्र वापस लिया जाए एवं कोई कार्यवाही न की जाए परन्तु उपरोक्त फर्म ने न तो आवश्यक दस्तावेज जमा किए और न ही व्यापार शुल्क जमा किया।

मै0 राजमहल बार एवं रेस्तरां, आबुलेन, मेरठ छावनी ने न तो कोई दस्तावेज प्रेषित किए , न ही लाईसेंस शुल्क जमा किया और न ही आज तक कोई उत्तर दिया।

स्टेशन मुख्यालय सेल, मुख्यालय पश्चिम यूपी सब एरिया, मेरठ छावनी ने पहले ही पत्र संख्या 143101/सीईओ/लिकर/क्यू3डब्लू(4) दिंनाक 21.04.2016, पंत्राक 143101/सीईओ/लिकर/क्यू3डब्लू(3) दिंनाक 21.04.2016/क्यू3डब्लू(2) दिंनाक 21.04.2016, पंत्राक 143101/सीईओ/लिकर/क्यू3डब्लू(1) दिंनाक 21.04.2016 एवं पंत्राक 143101/सीईओ/लिकर/क्यू3डब्लू दिंनाक 21.04.2016 के माध्यम से जिला एस्साईज अधिकारी मेरठ के परामश से सुरक्षा दृष्टि से उपरोक्त शराब की दुकानों/बार को चलाने के लिए 31.03.2017 तक की अवधि के लिए अनापत्ति दे दी थी।

उपरोक्त संदर्भित बोर्ड संकल्प मे दिए गए निर्देशों के अनुपालन न करना, जो छावनी अधिनियम 2006 की धारा 277, 285, 286, एवं 287 के प्रावधानों का उलंघन है।

उपरोक्त फर्मो जो व्यापार का लाईसेंस प्राप्त किए बिना शराब बेच रहे है के विरूद्ध छावनी अधिनियम 2006 की धारा 277, 286 एवं 287 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही अमल मे लाई जाए।

संबधित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

362. संकल्प

कर्नल सुबोध गर्ग, निर्वाचित सदस्य ने नगर पालिका क्षेत्र मे शराब की दुकानों के लिए नगर निगम मेरठ द्वारा जारी किए गए व्यापार लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत की। उन्होने कहा कि नगर निगम द्वारा लगाया गया शुल्क बोर्ड द्वारा लगाए गए शुल्क के मुकाबले बहुत कम है एवं बोर्ड को मौजूदा लागू लाईसेंस शुल्क को घटाना चाहिए। श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य ने भी छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधान का भी संदर्भ दिया एव कहा कि बोर्ड इतना ज्यादा शुल्क नही वसूल सकता। मु.अ.अ. ने कहा कि बोर्ड का कोई भी सदस्य, बिना छावनी परिषद के पूर्व मे अधिकृत करे कार्यसूची से सम्बन्धित कोई जानकारी किसी भी स्थान से प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष पेश नही कर सकता मुख्यतः जो छावनी परिषद् के विरूद्ध हो। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश मे किसी अन्य नगर पालिका से ज्यादा शुल्क लगाने पर बोर्ड के उपर कोई बंदिश नही है एवं यह कि बोर्ड का विदेशी शराब की दुकानों एवं बार आदि पर लाईसेंस शुल्क की दरों को लगाने का पिछला निर्णय वित्तीय हित मे था। उन्होने सुझाया कि बोर्ड को किसी भी प्रार्थना/अनुरोध पर पहले से लगाए गए शुल्क को कम करने से पहले सभी पहलूओं पर विचार करना चाहिए।

बोर्ड ने विचार कर निर्णय लिया कि व्यापार लाईसेंस शुल्क वसूली मे वृद्धि के लिए एवं छावनी क्षेत्र मे ऐसे व्यापारों को चलाने के लिए बिना छावनी परिषद, मेरठ के कानूनी अधिकारों को हानि पहुचाएं सभी आवेदकों को लाईसेंस जारी कर दिए जाए। ट्रेड लाईसेंस देने पर रोक, हटाने से जो बोर्ड द्वारा स्वयं लगाई गई, अधिक राजस्व आने की आशा है, यहा पर, आवेदकों को छूंट दी जाए एवं वाईन शॉप के लिए रू 1 लाख प्रतिवर्ष एवं रू बार के लिए रू 50000/– प्रतिवर्ष लाईसेंस शुल्क लगाया जाता है।

विचार कर निर्णय लिया गया कि वर्ष 2016–17 के लिए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं उददे्श्य परिवर्तन के सम्बन्ध मे बिना छावनी परिषद/सरकार के कानूनी अधिकारों को हानि पहुचाएं सभी आवेदकों को जारी कर दिए जाए। व्यापार लाईसेंस जारी करते समय, अनुमति मे यह साफ लिखा जाना चाहिए कि यह छावनी परिषद् के कानूनी अधिकारों को प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है एवं इस लाईसेंस को देने से लाईसेंस के अंतर्गत आने वाली सम्पत्ति मे छावनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार के उलंघन को नियमित नही होगा।

उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित सदस्यों ने प्रस्तावित शुल्क का विरोध किया। उन्होने कहा कि पूर्व मे निर्धारित किया गया शुल्क उचित है एवं वह ही जारी रहना चाहिए। अभ्यवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात, अध्यक्ष छावनी परिषद् ने प्रस्ताव पर चुनाव कराया।

04 वोट के विपक्ष मे 09 वोटों के पक्ष के माध्यम से संकल्प लिया गया। कुछ निर्वाचित सदस्यों के असहमति पत्र दिया।

विचार कर निर्णय लिया गया कि वर्ष 2016–17 के लिए लिकर लाईसेंस के लिए निम्न शुल्क संशोधित किए जाते हैः–

1. वाईन शॉप अंग्रेजी लिकर रू 01 लाख प्रतिवर्ष
2. बार रू 50000/– प्रतिवर्ष

अप्रैल 2017 के शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए लाईसेंस शुल्क की समीक्षा छावनी परिषद बोर्ड द्वारा की जाएगी।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि छावनी क्षेत्र मे अवैध शादी मण्डपों मे होने वाली शादियों पर रू 5000/– प्रति शादी की दर पर सभी मण्डपों से वसूले जाए। यह सम्बनिधत सम्पतित मे छावनी परिषद् के कानूनी अधिकारों को प्रभाव डाले बिना होगा।

उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित सदस्यों ने लिखित नोट दिया जो नीचे चस्पा है।

आईटम सं0–362 में नोट करने हेतु

ट्रेड लाईसेन्स की फीस निर्धारित करना बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है। नगर निगम और कैन्ट बोर्ड के बीच इस मामले में कोई समानता नही है। इण्डियाना बार रेस्टोरेन्ट ने जिस सिविल सूट को न्यायालय में लम्बित होना बताया हुआ है उस मामले में लाईसेन्स फीस का कोई मुद्दा ही नही है। इसलिए कोई स्टे ही नही है। इसलिए बोर्ड ने जो पूर्व में लाईसेंस फीस निर्धारित की है वह सही है। अतः यह सभी प्रत्यावेदन निरस्त किये जाये।

Sd/xxx (बीना बाधवा) Sd/xxx (मंजू गोयल) Sd/xxx (बुशरा कमाल)

Sd/xxx (रिन्नी जैन) Sd/xxx (नीरज राठौर) Sd/xxx (अनिल जैन)

Sd/xxx (धर्मेन्द्र सोनकर) Sd/xxx (विपिन सोढी)

३६३. शुद्धि पत्र

संदर्भ : छा0 बो0 स0 संख्या 222 दिंनाक 10.06.2016।

संदर्भित संकल्प मे 2015–16 के स्थान पर वर्ष 2016–17 पढे एवं नोट किए जाने हेतु।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

363. संकल्प

नोट कर अनुमोदित किया गया।

३६४. टाटा विंगर एम्बुलेंस की खरीद।

बोर्ड के संज्ञान मे यह लाना है कि एक एम्बुलेंस संख्या यूएचएन 1669 मॉडल 1985 ने अपना समय पूरा कर लिया है। वह जल्द जल्द मरम्मत मांग रही है जिससे कार्य पर बुरा प्रभाव पड रहा है।

टाटा विंगर एम्बुलेंस बीएस–3, एम्बुलेंस 32 4 गुणा2, 3200 एमएम व्हील बेस सिंगल स्टे बीएस 3 की खरीद पर कुल खर्च रू 7,54,616/– आएगा। टाटा विंगर एंबुलेंस बीएस 4 डीजीएस एण्ड डी दरों पर उपलब्ध नही है।

मै0 टाटा मोर्टस द्वारा टाटा विंगर एम्बुलेंस बीएस 3 के लिए प्रेषित डीजीएसएंड दरें निम्न है:–

Name of Model	Specification	Unit Price (Rs.)	Qty.	Total
TATA WINGER Ambulance BS-III	TATA WINGER Ambulance 32, 4x2, 3200mm Wheel Base Single Str. As per DGS &D RC No. AM_BUL/AM-2/RC-20010000/0816/72/05767/688 valid upto dt. 06/01/2016 valid upto dt. 31/12/2016	562837.40	01	
	Markup	4000.00		
	Basic Price Excluding Excise Duty	566837.40		
	Excise Duty @13.625%	77231.60		
	Base Price Including Excise Duty	644069.00		
	Transportation Charge upto Lucknow	14984.00		
	Sub Total	659093.00		
	VAT @ 14.5%	95562.68		
	TOTAL	754615.68		
	Total Cost For One No. Vehicle			**754616**

01 एम्बुलेंस की खरीद के लिए वर्ष 2016–17(संशोधित) मे आवश्यक बजट व्यवस्था एफ 1(बी) बजट मद्व मे बनाई गई है।

मामला पत्रावली संख्या 164/ई–5/एम्बुलेंस सभी सम्बन्धित कागजों सहित विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि विचार कर निर्णय ले।

364. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि रू 7,54,616/– की लागत से डीजीएस एंड डी दरों पर बजट मद्व एफ(1)(बी) मे टाटा विंगर एम्बुलेंस बीएस 3 खरीद ली जाए। जीओसी इन सी/ प्रधान निदेशक को सक्षम अधिकारी की स्वीकृती हेतु आवश्यक प्रस्ताव अग्रेषित किया जाए।

३६५. काठ के पुल से आबुलेन तक पार्किंग स्थल (बाई ओर केवल दोपहिया वाहनों के लिए)

श्रीमती राजेश देवी पत्नि श्री हरदन सिंह, ए–40, गंगा नगर, मेरठ छावनी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिंनाक 15.10.2016 पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि श्रीमती राजेश देवी ने अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 15.10.2016 के माध्यम से उनके द्वारा विषयगत निविदा के लिए रू 45250/– निविदा बोली की 25 प्रतिशत + रू20000 सिक्योरिटी राशि जो कुल रू 65250/– है को वापस करने का अनुरोध किया है। उन्होने यह भी कहा है कि स्थानीय दुकानदारों एवं व्यापार संघ की आपत्ति के चलते, काठ के पुल से आबूलेन (बाई ओर केवल दोपहिया वाहन के लिए) पर पार्किंग स्थल कभी नही चला एवं कोई पार्किंग शुल्क नही वसूला गया।

एक वर्ष की अवधि हेतु विषयगत पार्किंग की नीलामी दिंनाक 03.11.2015 को आयोजित की गई थी। सर्वाधिक बोली रू 181000 श्रीमती राजेश देवी पत्नि श्री हरदन सिंह द्वारा दिंनाक 07.11.2015 से 06.11.2016 तक एक वर्ष की अवधि हेतु लगाई गई जिसे बोर्ड द्वारा छा0बो0स0

संख्या 91 दिनांक 05.11.2015 के माध्यम से अनुमोदित किया गया। निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार सर्वाधिक बोलीकर्ता ने रू 45250/– प्रथम किश्त, रू 905/– टीसीएस एवं रू 20000/– सिक्योरिटी राशि के रूप मे छावनी परिषद् मेरठ मे जमा कराए।

श्रीमती राजेश देवी ने अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 07.01.2016 मे माध्यम से सूचित किया कि दोपहिया वाहन विषयगत पार्किंग के स्थान पर आबुलेन पर खडे किये जा रहे है एवं कोई पार्किंग शुल्क प्राप्त नही हो रहा है। सर्वाधिक बोलीकर्ता ने प्रार्थना पत्र दिंनाक 01.02.2016 के माध्यम से आबुलेन से पार्किंग शुल्क वसूलने की अनुमति का अनुरोध किया।

कार्यालय ने पत्र संख्या 108/आर/होर्डिंग/483 दिंनाक 18.03.2016 के माध्यम से जो लोग आबूलेन पर वाहन खडा करते है उनसे पार्किंग शुल्क वसूलने की अनुमति देते हुए द्वितीय किश्त जमा करने के लिए निर्देशित किया। आबुलेन व्यापार संघ ने पत्र दिंनाक 28.03.2016 के माध्यम से विषयगत पार्किंग के स्थान पर आबुलेन से पार्किंग शुल्क वसूलने पर आपत्ति जताई।

श्रीमती राजेश देवी ने अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 22.03.2016 के माध्यम से अनुरोध किया कि विषयगत पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क की वसूली न होने के कारण, इस समय वह द्वितीय किश्त जमा करने असमर्थ है एवं द्वितीय किश्त जमा करने हेतु 10 दिनों का समय मांगा है। सर्वाधिक बोलीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 04.04.2016 के माध्यम से सूचित किया कि आबूलेन व्यापार संघ आबुलेन से पार्किंग शुल्क वसूलने पर आपत्ति जता रहा है एवं ऐसी स्थिति मे वह कथित निविदा को चलाने मे असमर्थ है एवं धरोहर/सिक्योरिटी राशि को वापस करने के लिए अनुरोध किया है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

365. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि श्रीमती राजेश देवी द्वारा उनके अभ्यवेदन दिंनाक 15.10.2016 मे बताई गई स्थिति के दृष्टिगत, सर्वाधिक बोलीकर्ता को सिक्योरिटी राशि वापस की जाए। कार्यालय कार्यसूची मे उल्लिखित पार्किंग की नीलामी के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करे।

३६६. आबुलेन, मेरठ छावनी पर फव्वारा/भूमिगत सार्वजनिक शौचालय को चलाने एवं रखरखाव की निविदा का हस्तांतरण।

श्री संजय महेश्वरी, महासचिव, आबुलेन व्यापार संघ(केन्द्र) द्वारा विषयगत निविदा को 03 वर्ष की अवधि के लिये बढाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिंनाक 03.11.2016 पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री संजय महेश्वरी, महासचिव, आबुलेन व्यापार संघ (केन्द्र) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 03.11.2016 के माध्यम से विषयगत निविदा को 03 वर्ष की अवधि के लिए बढाने का अनुरोध किया है। उन्होने यह भी कहा कि अमर उजाला मे प्रकाशित निविदा नोटिस एवं निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार, कथित निविदा 03 वर्ष की अवधि के लिए है परन्तु कार्यालय पत्र संख्या आर/108/फाउंटेन आबुलेन/1641 दिंनाक 14.10.2016 के अनुसार, निविदा केवल 01 वर्ष के लिए है जो विरोधाभासी है।

निविदा नोटिस संख्या एससीबी/10010/2015/रेवेन्यू/नीलामी दिंनाक 26.08.2016 के अनुसार, कथित निविदा 03 वर्ष की अवधि हेतु अमर उजाला मे व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दिंनाक 28.08.2015 को आयोजित की गई थी परन्तु कोई बोली प्राप्त नही हुई।

नोटिस संख्या एमसीबी/10010/2015/रेवेन्यू/नीलामी दिंनाक 17.10.2015 के अनुसार, कथित नीलामी 01 वर्ष की अवधि हेतु अमर उजाला मे दिंनाक 18.10.2015 को व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात पुनः दिंनाक 02.11.2015 को आयोजित की गई। एक वर्ष की अवधि हेतु सर्वाधिक बोली रू 111000/– श्री संजय महेश्वरी, महासचिव, आबुलेन व्यापार संघ (केन्द्र)मेरठ छावनी द्वारा लगाई गई।

कथित बोली बोर्ड के समक्ष सर्कुलर कार्यसूची के माध्यम से दिंनाक 05.11.2015 को रखी गई। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 91 दिंनाक 05.11.2015 के माध्यम से एक वर्ष की अवधि हेतु श्री संजय महेश्वरी द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली रू 111000 को अनुमोदित किया।

निविदा की नियम एवं शर्तों की कंडिका 1 एवं 7 के अनुसार, कथित निविदा 01 वर्ष के सफल संचालन के पश्चात 3 वर्ष की अवधि के लिए है एवं हर वर्ष लाईसेंस शुल्क मे 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदित करे।

366. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि नीलामी की नियम एवं शर्तो के अनुसार, निविदा की अवधि को 03 अन्य वर्ष के लिए हर वर्ष वार्षिक निविदा बोली पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त पर बढा दी जाए। निविदा अनुबंध तैयार करने से पहले, कार्यालय स्टाफ द्वारा जगह का निरीक्षण कर सुनिश्चित करे कि निविदा के अंतर्गत अनुज्ञप्त के अलावा कोई अवैध होर्डिंग नही लगा हो।

निर्वाचित सदस्यों द्वारा लिखित नोट दिया गया जो नीचे चस्पा है।

आईटम सं0–366 में नोट करने हेतु

फौव्वारा चौक का यह प्रस्ताव मौके पर हो रही गतिविधियों के विपरीत है। इस प्रस्ताव से बोर्ड को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। क्योंकि इस फौव्वारा के चारो ओर जो व्यापारिक होर्डिंग लगे हैं वह इस ठेके में शामिल नही है और ना ही उनका इस आईटम में जिक्र है जबकि वहां पर बड़े–बड़े होर्डिंग व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लग रहे है। यदि बोर्ड सीधे उनको स्वीकृती देगा तो लाखों रूपये प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त होगा। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि पहले स्थल निरीक्षण बोर्ड के समक्ष सही आख्या लाई जाये फिर इस मामले पर विचार किया जाये।

Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
(बीना बाधवा)	(मंजू गोयल)	(बुशरा कमाल)
Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
(रिन्नी जैन)	(नीरज राठौर)	(अनिल जैन)
Sd/xxx	Sd/xxx	
(धर्मेन्द्र सोनकर)	(विपिन सोढी)	

३६७. काठ के पुल से योगेन्द्र हॉट तक एवं काठ के पुल से वोल्गा बार तक पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों के हस्तांतरण की नीलामी।

श्री सोहन पाल सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह द्वारा विषयगत नीलामी मे जमा की सिक्योरिटी राशि को वापस करने हेतु प्रेषित किए गए प्रार्थना पत्र दिंनाक 12.09.2016 पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट :–

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री सोहनपाल सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह, कथित पार्किंग के ठेकेदार ने प्रार्थना पत्र दिंनाक 12.09.2016 के माध्यम से उनके द्वारा विषयगत पार्किंग मे उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि को वापस करने का अनुरोध किया है।

विषयगत पार्किंग श्री सोहनपाल सिंह को रू 501000/– प्रतिवर्ष + अन्य शुल्क पर दिया गया था। निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार ने एक प्रार्थना पत्र दिंनाक 18.02.2016 प्रेषित किया कि वह 90 दिनो के बाद निविदा को चलाने मे असमर्थ है, 90 दिनों की अवधि दिंनाक 18.05.2016 को पूरी हो गई। उक्त अवधि पूरी होने के बाद, ठेकेदार उक्त निविदा को दिंनाक 18.05.2016 को छोडकर चला गया एवं दिंनाक 18.05.2016 तक की निविदा राशि ठेकेदार द्वारा जमा करा दी गई।

मामला बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक दिंनाक 10.06.2016 को रखा गया। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 230 दिंनाक 10.06.2016 के माध्यम से निर्णय लिया कि प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाए एवं उसके विरूद्ध सभी बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही

अमल मे लाई जाए एवं कार्यालय द्वारा पार्किंग स्थल की पुन नीलामी की आगे की कार्यवाही अमल मे लाई जाए।

बोर्ड को सूचनीय है कि लिपिकीय गलती के कारण यह लिखा गया कि अनुबंध की कंडिका 10 के अनुसार, बोर्ड इस निविदा को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए ठेकेदार को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए निविदा को समाप्त करने का अधिकारी है एवं इस समाप्ति के कारण ठेकेदार किसी भी प्रकार का मुआवजा पाने का अधिकारी नही है। लिखित मे तीन माह पूर्व का नोटिस देकर ठेकेदार भी निविदा को छोड सकता है।

अनुबंध की नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार ने ठेका छोडने के लिए 03 माह का पूर्व नोटिस दिया एवं सभी राशि पहले ही जमा करा दी।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

367. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि श्री सोहन पाल द्वारा उनके अभ्यवेदन दिंनाक 12.09. 2016 मे बताई गई स्थिति के दृष्टिगत, सर्वाधिक बोलीकर्ता को सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाए। कार्यालय कार्यसूची मे उल्लिखित पार्किंग की नीलामी के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करे।

३६८. दैनिक/साप्ताहिक तहबाजारी शुल्क मे संशोधन।

छावनी अधिनियम, 1924 के उपनियम की धारा 282/283(13) के अंतर्गत दैनिक/साप्ताहिक तहबाजारी शुल्क मे संशोधन पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि सातवां वेतन आयोग लागू होने पश्चात एवं आम चीजों एवं अन्य चीजों के मूल्य मे वृद्धि से, छावनी परिषद मेरठ के राजस्व मे वृद्धि करने के लिए छावनी परिषद द्वारा लगाए गए शुल्क मे वृद्धि आवश्यक है।।

बोर्ड दैनिक/साप्ताहिक तहबाजारी शुल्क छावनी अधिनियम 1924 के उपनियम की धारा 282/283(13) के अंतर्गत लगा रहा है।

बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 432 दिंनाक 18.03.2013 के माध्यम से दैनिक/साप्ताहिक शुल्क मे संशोधन किया था।

राजस्व की वृद्धि के हित मे, कार्यालय दैनिक/साप्ताहित तहबाजारी शुल्क मे संशोधन प्रस्तावित करता है जो कि निम्न हैः–

Sl. No.	Type of tehbazari fee	Present	Proposed	Last date of revision
1.	Tehbazari fee on thela	Rs. 10/- per day	15/- per day	01.04.2013
2.	Tehbazari fee for use of 25 Sq.ft. govt. land	Rs. 15/- per day	25/- per day	-do-
3.	Tehbazari fee for use of 50 Sq.ft. govt. land	Rs. 22/- per day	35/- per day	-do-
4.	Tehbazari fee for use of 75 Sq.ft. govt. land	Rs. 30/- per day	45/- per day	-do-
5.	Tehbazari fee for use of 100 Sq.ft. govt. land	Rs. 38/- per day	60/- per day	-do-
6.	Tehbazari fee for use of 25 Sq.ft. govt. land on Mela	Rs. 38/- per day	60/- per day	-do-
7.	Tehbazari fee for thela on Mela	Rs. 25/- per day	40/- per day	-do-

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदित करे।

368. संकल्प

विचार कर कार्यसूची मे प्रस्तावित संशोधित तहबाजारी शुल्क को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। संशोधित दरें दिंनाक 01.01.2017 से लागू होंगी। तहबाजारी की नीलामी आयोजित कराने के लिए कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

आगे निर्णय लिया गया कि निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस मे यह साफ लिखा जाए कि सैन्य क्षेत्र मे कोई तहबाजारी टोकन/टिकट लागू नही होगा क्योकि सैन्य क्षेत्र मे किसी वेंडर की अनुमति नही है।

३६९. <u>पथकर को रोकना एवं छूंट प्रदान करना।</u>

पांच सौ एवं एक हजार की मुद्रा के विमुद्रिकरण के पश्चात एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10.11.2016 0000 बजे से पथ कर की वसूली बंद करने की घोषणा की अखबार की रिपोर्ट एवं श्री अशोक कुमार गोयल, पथ कर ठेकेदार द्वारा भारत सरकार द्वारा पथ कर न वसूलने की घोषणा की अवधि मे पथ कर वसूली को बंद करने एवं छूंट प्रदान करने के लिए प्रेषित प्रार्थना पत्र दिंनाक 11.11.2016 पर विचार करने हेतु।

<u>कार्यालय नोट</u>

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद मेरठ 08.10.2016 से बाहरी ठेकेदार के माध्यम से 06 पथकर स्थलों से पथकर वसूल रहा है। भारत सरकार ने 500 एवं 100 की पुरानी मुद्रा का विमुद्रिकरण कर दिया है एवं अखबारों की रिपोर्टानुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10.11.2016 0000 बजे से पथ कर की वसूली बंद करने की घोषणा की है, परंतु आज तक कोई कार्यालयीन निर्देश प्राप्त नही हुए है।

छावनी परिषद द्वारा पथकर की वसूली पर व्यवसायिक वाहन/परिवाहकों द्वारा आपत्ति की जा रही है एवं उपरोक्त उल्लिखित सरकारी आदेश का हवाला देते हुए पथकर नही दे रहे है, जबकि छावनी क्षेत्र मे पथकर स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नही है।

निविदा की नियम एवं शर्तों की कंडिका 22(एफ)(4) के अनुसार, पथ कर के मूल्यांकन एवं वसूली के सम्बन्ध मे केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के लिए सीमित है, परन्तु भारत सरकार द्वारा पथकर को रोकने के सम्बन्ध मे पथकर मे कोई छूंट के बारे मे निविदा की नियम एवं शर्तों मे कुछ उल्लिखित नही है।

कार्यालय ने पंत्राक आर/108/टोल टैक्स/430 दिंनाक 17.11.2016 के माध्यम से विषयगत मामला प्रधान निदेशक को अवगत कराया।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

369. संकल्प

मु.अ.अ ने बोर्ड को सूचित किया कि विमुद्रीकरण के कारण पथ कर वसूली बंद करने के लिए प्राधिकारियों से महानिदेशक रक्षा सम्पदा पंत्राक 76/67/मिस/सी/डीई/2016/एफ एमएस संख्या 51687 दिंनाक 17.11.2016 के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुए है।

विचार कर निर्णय लिया गया कि रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार ठेकेदार के माध्यम से की जा रही पथकर की वसूली को 24.11.2016 की मध्य रात्रि के बंद कर दिया जाए। आगे निर्णय लिया गया कि दिंनाक 08.11.2016 से पथकर बंद करने के आदेश सक्रीय रहने तक ठेकेदार को पथकर वसूली मे छुंट दी जाए क्योकि ठेकेदार ने दिंनाक 08.11.2016 से विमुद्रीकरण होने के बाद से पथकर वसूली मे गिरावट आई है। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि उपरोक्त कठिनाईओं के वावजूद ठेकेदार ने कर वसूली राशि जमा कराई एवं बोर्ड को ऐसे प्रयास के लिए सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। दिंनाक 08.11.2016 तक की गई वसूली तद्वनुसार समायोजित की गई।

आगे निर्णय लिया गया कि जैन नगर/सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे स्टेशन को किसी अन्य ठीक जगह पर लगाया जाए।

३७०. <u>महेश्वरी कार्यशाला से बंगला संख्या १७६ एमईएस कार्यालय के पीछे तक पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों की नीलामी एवं मेरठ सिटी</u>

रेलवे स्टेशन के निकट छावनी निधि दुकानों के सामने पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों की नीलामी।

महेश्वरी कार्यशाला से बंगला संख्या 176 एमईएस कार्यालय के पीछे तक पार्किंग स्थल से एक वर्ष की अवधि हेतु पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों की नीलामी के लिए श्री ब्रिजपाल पुत्र श्री लाल सिंह द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली एवं मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के निकट छावनी निधि दुकानों के सामने पार्किंग स्थल से एक वर्ष की अवधि हेतु पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों की नीलामी मे श्री धनराज पुत्र श्री श्याम सुंदर द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली रू 5200 प्रतिवर्ष पर विचार करने हेतु।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 318 दिंनाक 19.09.2016।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि विषयगत नीलामियों की सर्वाधिक बोलियों के अनुमोदन का मामला बोर्ड के समक्ष छा0बो0स0 संख्या 318 दिंनाक दिंनाक 19.09.2016 के माध्यम से रखा गया था। बोर्ड नें निरीक्षण एवं निर्णय अगली बैठक मे लेने का संकल्प लिया।

संदर्भित संकल्प के अनुपालन मे, मु.अ.अ ने कथित पार्किंग स्थलो का निरीक्षण किया एवं पाया कि वाहन पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान है एवं कोई यातायात अवरोध नही होगा।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

370. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि आर.के महेश्वरी वर्कशॉप से बंगला संख्या 176 एमईएस कार्यालय तक के पार्किंग स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों की नीलामी के लिए श्री ब्रिजपाल पुत्र श्री लाल सिंह द्वारा लगाई गई सर्वाधित बोली रू 162000/– को 01 वर्ष के लिए इस शर्त पर अनुमोदित किया गया कि अध्यक्ष छावनी परिषद जगह का निरीक्षण करेंगे एवं यदि सहमत होंगे तो अनुबंध किया जाए।

आगे निर्णय लिया गया कि मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के निकट छावनी निधि दुकानों के सामने पार्किंग स्टैण्ड के लिए श्री धनराज पुत्र श्री श्याम सुंदर द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली रूपये 52000/– प्रतिवर्ष की बोली को अनुमोदित किया गया एवं आवश्यक अनुबंध किया जाए।

३७१. **स्वच्छता पखवाडा – ०१ से १५ दिसम्बर २०१६।**

मुख्यालय मध्य कमान के पंत्राक 260505/कैन्ट/जेन/क्यू3एल2 दिंनाक 02.11.2016 एवं भारत सरकार के निर्देश दिंनाक 08.09.2016 के अनुसार 1– 15 दिसम्बर तक स्वच्छता पखवाडा मनाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड को सूचनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 1 से 15 दिसम्बर तक स्वच्छता पखवाडा मनाने का निर्देश दिया है। इस पखवाडे के दौरान कुछ आयोजन होने है जैसे अस्वच्छ क्षेत्रों पर ध्यान देना, स्कूली छात्रों के द्वारा रैली निकालने के अलावा सेमिनार एवं लेक्चरों का आयोजन करना जिसमे सफाई की आवश्यकता एवं फायदे बताए जाए। पखवाडे के आयोजन के लिए आवश्यक आदेश कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। स्वच्छता पखवाडे का विस्तृत कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से निर्देशों को नोट करने का अनुरोध है।

371. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि महानिदेशालय द्वारा दिए गए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 01 दिसम्बर 2016 से 15 दिसम्बर 2016 तक ''स्वच्छता पखवाडे'' का आयोजन किया जाए। मु.अ.अ. आयोजन के लिए आवश्यक खर्च करने के लिए अधिकृत है।

दिंनाक २२.११.२०१६ को प्रातः ११:०० बजे होने वाली बोर्ड बैठक की अनुशेष कार्यसूचीः–

३७२. आधारशिला कैन्ट पब्लिक स्कूल के शुल्क मे संशोधन।

प्रधानाध्यापिका, आधारशिला कैन्ट पब्लिक स्कूल से प्राप्त रिपोर्ट दिंनाक 11.08.2016 जिसमें उन्होने कहा है कि स्कूल की स्थापना वर्ष 2003 मे की गई थी एवं स्कूल की फीस मे कोई संशोधन नही किया गया है पर विचार करने हेतु। अलग अलग वर्ग के लिए दिए गए प्रस्तावित शुल्क निम्न हैः–

शुल्क तिमाही आधार पर जमा किया जाएगा।

क्रम संख्या	वर्ग/प्रतिशत	तीमाही आधार पर मौजूदा शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1	अध्यापन शुल्क (25 प्रतिशत)	क) नर्सरी–यूकेजी 200ग3 = 600 ख) पहली–तीसरी 250ग3 = 700 ग) चार से पांच 300ग3 = 900	250ग3 = 750 300ग3 = 900 350ग3 = 1050
2	वार्षिक शुल्क (20 प्रतिशत)	क) नर्सरी–यूकेजी 375 ख) पहली–तीसरी 425 ग) चार से पांच 300ग3 = 900	250ग3 = 750 300ग3 = 900 350ग3 = 1050
3	भवन निधि (100 प्रतिशत)	नर्सरी से कक्षा पांच 100	100
4	छात्र निधि (लगभग 50 प्रतिशत)	क) नर्सरी–तीसरी ख) कक्षा चार एवं पांच	200 250
5	परीक्षा शुल्क (100 प्रतिशत)	क) नर्सरी–यूकेजी ख) पहली–तीसरी ग) चार से पांच	150 300 400

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

372. संकल्प

विचार कर वर्ष 2017–18 के शैक्षिक सत्र के लिए कार्यसूची मे उल्लिखित प्रस्तावित शुल्क को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

३७३. कानूनी फीस मे वृद्धि – अपीलों का बचाव।

कानूनी फीस मे वृद्धि के लिए श्री रईस अहमद, एडवोकेट के प्रार्थना पत्र दिंनाक 12.11. 2016 पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री रईस अहमद, एडवोकेट, लखनऊ को रू 1300/– प्रति अपील पर बोर्ड द्वारा क्रमशः छा0बो0स संख्या 252 दिंनाक 08.08.2012 एवं छा0बो0स0 संख्या 276 दिंनाक 09.06.2014 को छावनी परिषद मेरठ की सीमा मे अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए जारी किए गए नोटिसों के विरोध मे अधिभोगियों/अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 340 के अंतर्गत दायर अपीलों मे छावनी परिषद मेरठ की ओर से अपीलीय अधिकारी जो कि जीओसी–इन–सी, मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ छावनी के समक्ष सुनवाई मे शामिल होने के लिए नियुक्त किया गया था।

बोर्ड से कानूनी शुल्क मे वृद्धि के अनुरोध पर विचार करे, आवश्यक वृद्धि की संस्तुति की गई है।

373. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि श्री रईस अहमद, एडवोकेट के शुल्क को 01.12.2016 से रू 2500/– प्रति अपील की दर से संशोधित कर दिया जाए जिसमें अपील से सम्बन्धित सभी कार्य/उपस्थिति शामिल होंगे।

३७४. २०१६–१७: के दौरान रखरखाव कार्यों के आंकलन का अनुमोदन।

वर्ष 2016–17 के दौरान डी2 बजट मद्व मे कराए जाने वाले निम्नलिखित रखरखाव कार्यों के लिए आंकलनों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	आंकलन लागत
ए	**बजट मद्व डी2 (बी)**	
1.	वार्ड संख्या 2 सरधना रोड टोल स्थल पर सडक की मरम्मत (छावनी बोर्ड टोल वसूली स्थल पर एमईएस रोड का साईड पोर्शन)	Rs. 6,37,873.00
2.	छावनी परिषद कार्यालय के अंदर सडक की मरम्मत /बिछाई	Rs 12,48,490.00
3.	314 द मॉल के भीतर सडक की मरम्मत/बिछाई	Rs 4,85,257.00
4.	बंगला संख्या 219 से वेस्ट एंड रोड वार्ड संख्या 6 तक सडक की मरम्मत/बिछाई	Rs. 15,80,363.00
5.	नययर पैलेस से बूचडी रोड वार्ड संख्या 2 तक बेकरी लेन की मरम्मत/बिछाई	Rs. 23,24,429.00

बोर्ड का सूचनीय है कि क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित सरधना रोड का भाग वर्ग 1 भूमि है (एमईएस) रोड जिसपर 2005 से छावनी परिषद् का पथ कर वसूली स्थल स्थापित है। सभी ढांचागत एवं फिक्सचर छावनी परिषद् द्वारा विकसित है क्योकिं टोल स्थल एवं उक्त जगह का इस्तेमाल सैन्य वाहनों सहित वाहनों के जाम/दुर्घटना से टालने हेतु किया जाता है। बोर्ड को उक्त जगह का ए–1 क्लास से सी क्लास मे बदलने का भी सुझाव दिया जाता है।

उपरोक्त आंकलन एमईएस एसएसआर 2010 पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों पर तैयार किए गए है एवं कार्य आदेश स्वीकृत बजट प्रावधानों पर सम्बन्धित बजट मद्व के अनुसार रखे जाएंगे।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

374. संकल्प

विचार कर कार्यसूची मे उल्लिखित एमईएस एसएसआर 2010 पर आधारित आंकलनों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। क्रम संख्या 1 के आंकलन आवश्यक कार्य से सम्बन्धित है क्योकिं इस जगह बोर्ड का पथकर वसूली स्थल है एवं कार्य भूमि के बिना वर्गीकृत परिवर्तन किये कराया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि कथित सडक के भाग का ए–1 से सी वर्ग मे परिवर्तन के लिए मु.अ.अ द्वारा कार्यवाही अमल मे लाई जाए।

मु.अ.अ बोर्ड द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों एवं दरों पर कार्य कराने के लिए अधिकृत है।

३७५. छावनी क्षेत्र मे विभिन्न जलापूर्ति स्थलों के पम्प हाउस/ओएचटीज के रखरखाव हेतु दर अनुमोदन।

छावनी क्षेत्र मे विभिन्न जलापूर्ति केन्द्रों पर पम्प हाउस/ओएचटी क`चल रखरखाव हेतु ई–निविदा प्रक्रिया जिसे बोर्ड द्वारा उक्त निविदा प्रदान करने हेतु आमंत्रित की गई थी मे मै0 अग्रवाल एंड कम्पनी द्वारा उद्वत रू 57000 प्रति जलापूर्ति/ओएचटी प्रतिमाह की दरों पर विचार करने हेतुं

बोर्ड को यह भी सूचनीय है किः–

1. प्रशिक्षित स्टाफ जैसे ऑपरेटर/एमपीए की कमी के चलते, 4 पम्प/स्थल चलाने एवं रखरखाव के आउटसोर्स पर दिए हुए है।

2. छावनी क्षेत्र मे विभिन्न जलापूर्ति केन्द्रों पर पम्प हाउस/ओएचटी क`चल रखरखाव हेतु राष्ट्रीय/स्थानीय अखबार मे विज्ञापन के साथ साथ ई–पब्लिशिंग पर ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दो बोली प्रक्रिया पर दिंनाक 11.04.2016, 30.05.2016 एवं 02.08.2016 को आमंत्रित की गई थी, निविदा चौथी बार दिंनाक 19.09.2016 को आमंत्रित की गई।

3. चौथी निविदा कार्यवाही मे, 04 ठेकेदार नामित मै0 शिखा एंटरप्राईजेस, मै0 श्रीराम कंसट्रक्शन, मै0 अतुल एसोसिएट एवं मै0 अग्रवाल एंड कम्पनी ने भाग लिया। मै0 अग्रवाल एंड कम्पनी वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाए गए एवं वित्तीय बोली दिंनाक 11.11.2016 को खोली गई। मै0 अग्रवाल एंड कम्पनी ने छावनी क्षेत्र मे विभिन्न जलापूर्ति केन्द्रों पर पम्प हाउस/ओएचटी क`चल रखरखाव हेतु रू 57000 प्रति जलापूर्ति स्थल/ओएचटी प्रति माह की दर उद्वत की।

375. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि छावनी परिषद के ओवरहैड टैंक एवं पम्प हाऊस के रखरखाव एवं संचालन के लिए मै0 अग्रवाल एवं कम्पनी द्वारा रू 57000 प्रति जलापूर्ति पम्प प्रति माह को एक वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया। आवश्यक अनुबंध किया जाए।

३७६. मेरठ छावनीः नागरिक क्षेत्र के लिए एलपीके १६१३ पर टाटा ८.५ क्यू एमटी टिपर की खरीद।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 248 दिंनाक 10.06.2016।

बोर्ड के संज्ञान मे लाना है कि बोर्ड ने छावनी क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए उपरोक्त संदर्भित छा0बो0स0 के माध्यम से 6 वाहनो को डीजीएसएंडडी दरों पर रू 19,87,033/– प्रतिवाहन (टाटा टिपर डम्पर) जो रू 1,19,22,198/– है की खरीद को अनुमोदित की थी।

उपरोक्त छा0बो0स0 के अनुपालन मे जीओसी–इन–सी, मध्य कमान को प्रधान निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान के माध्यम से इस कार्यालय के पत्र संख्या 458/2016–17/405 दिंनाक 02.09.2016 द्वारा आवश्यक प्रस्ताव भेजा गया था। स्वीकृति अभी प्रतिक्षीत है।

आगे यह भी प्रेषित है कि इसी बीच टाटा मोटर्स लि0 ने पत्रांक AO-LKO/DGS&D/16-17/34 दिंनाक 17.10.2016 एवं संशोधन संख्या. BUT/AM-2/RC-21020000/0116/72/05767/683/6 दिंनाक 16.11.2016 के माध्यम से सूचित किया है कि संशोधित डीजीएसएंडडी दरों के अनुसार उपरोक्त वाहन रू 20,41,228/– प्रति वाहन है एवं डीजीएसएंडडी दरों का अनुबंध केवल 31.12.2016 तक वैध है। बोर्ड यह भी नोट करे कि पूर्व में अनुमोदित की दरें 31.08.2016 तक वैध थी एवं चुकिं स्वीकृती प्राप्त नही हुई है नए अनुबंध के अनुसार नई दरें लागू होंगी।

बोर्ड से अनुरोध है कि छावनी लेखा संहिता 1924 के नियम 17(ए) एवं 19(ब) के अंतर्गत मौजूदा डीजीएस एंड डी दरों पर रू 20,41,228/– की लागत पर (6 **X** 2041228 = 1,22,47,368/–) एलकेपी 1613 पर टाटा डम्पर खरीदने की स्वीकृति प्रदान करें। जीओसी इन सी, मध्य कमान को भेजे पूर्व के प्रस्ताव के क्रम मे रू 1,22,47,368/– (रू 54,195/– रू 2041228–1987033 को घटाने पर) की अलग से स्वीकृति प्राप्त की जाए।

बोर्ड से विचार कर निर्णय लेने का अनुरोध है।

376. संकल्प

विचार कर रू 2041228/– प्रति टिपर की संशोधित दर से 06 टाटा टिपर कुल लागत रू 1,22,47,368/– पर खरीद को अनुमोदित किया गया। रू 1,19,22,196/– की स्वीकृती के

साथ साथ संशोधित दर के लिए कार्यसूची मे उल्लिखित अतिरिक्त राशि रू 54,195/– की स्वीकृती अलग से जीओसी इन सी से प्राप्त की जाए।

३७७. छावनी सामान्य अस्पताल मे आईपीडी (आंतरिक मरीज विभाग) के लिए १० बेड का आवंटन।

प्रभारी अनुसंधान अधिकारी (यूनानी) के पत्र संख्या 59/सीआरयू/2016–17/323 दिंनाक 31.10.2016 पर विचार करना जिसमे कथन किया गया है कि महानिदेशक, सीसीआरयूएम नई दिल्ली 10 बिस्तरों का आंतरिक रोगी अनुभाग शुरू करना चाहते है यह व्यवस्था ऐसी रोगियों के लिए प्रस्तावित है जो अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत आते है। उन्होने अनुरोध किया है कि अनुसंधान को निर्धारित समय मे पूरा करने के लिए यह अनुसंधान इकाई शुरू किए जाने हेतु 10 बिस्तर जनरल वार्ड मे आवंटित कर दिए जाए।

आरएमओ ने अपनी रिपोर्ट दिंनाक 11.11.2016 के माध्यम से बताया है कि छावनी सामान्य अस्पताल के जनरल वार्ड मे 12 बिस्तर पुरूषों के लिए एवं 06 बिस्तर महिलाओं के लिए है एवं सीआरयू (यूनानी), सीजीएच को 10 बिस्तर उपलब्ध कराना संभव नही है एवं यह भी सूचनीय है कि सीआरयू(यूनानी) के बगल मे एक भवन है जिसे जनरल वार्ड सीआरयू (यूनानी) मे बदला एवं आवंटित किया जा सकता है। इस बीच यह संभव हो सकता है कि फिजियोथेरेपी विभाग को खाली करने के पश्चात आवंटित किया जा सकता है क्योकिं वह अभी प्रभावी नही है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

377. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि जनहित मे छावनी जनरल अस्पताल मे सीसीआरयूएम मे आंतरिक मरीजों के लिए बोर्ड के अगले आदेश होने तक 10 सामान्य बिस्तर की सुविधा प्रदान कर दी जाए। मु.अ.अ. कैन्ट जनरल अस्पताल की आर.एम.ओ से सुझाव लेते हुए इसके लिए सीसीआरयूएम से वसूले जाने वाली दरों अनुमान के लिए अधिकृत है एवं वह बोर्ड के इस प्राधिकार से वसूला जाएगा।

३७८. नागरिक क्षेत्र समिति के कार्यवृत्त का स्थायीकरण।

नागरिक क्षेत्र समिति की दिंनाक 16.09.2016 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त को स्थायी करने हेतु।

कार्यवृत्त के सम्बन्धित कागज पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर स्थायी करे।

378. संकल्प

स्थायी किया गया।

३७९. अभिलेखों को समाप्त/खत्म करना ।

छावनी लेखा संहिता 1924 के नियम 84(3) के अनुसार उसमे उल्लिखित अभिलेखों को समाप्त/खत्म करने की आवश्यकता है।

छावनी परिषद मेरठ के कार्यालय मे ऐसे बहुत सारे अभिलेख है जो उपरोक्त नियमों के अंतर्गत समाप्त किए जा सकते है। इन दस्तावेजों/अभिलेखों की सूची बोर्ड के संज्ञान हेतु कर अधीक्षक द्वारा तैयार कर ली गई है।

कर अधीक्षक ने यह भी प्रमाणित किया है कि सूची मे उल्लिखित सभी दस्तावेजों का ऑडिट करा लिया गया है।

उपरोक्तानुसार बोर्ड अभिलेखों को समाप्त करना अनुमोदित करे।

379. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि पटल पर रखी गई सूची मे उल्लिखित दस्तावेजों/अभिलेखों को जिम्मेदार अधिकारिकों की मौजूदगी मे नियमों के अंगर्तत दिए गए निर्देशों के अनुसार नष्ट कर दिए जाए।

३८०. छावनी परिषदों का संचालन : संवैधानिक कर्तव्यों का निष्पादन, राजस्व उत्सर्जन, विकास कार्य, छावनी परिषदों आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि की सुरक्षा।

महानिदेशक, रक्षा सम्पदा, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्कुलर संख्या 25/सी/डीई/2004 दिंनाक 26 अक्टुबर 2016 एवं प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा मध्य कमान द्वारा पत्र संख्या 56044/परफोरमेंस ऑडिट/कैन्ट/2014 दिंनाक 01 नवम्बर 2016 के माध्यम से विषय पर जारी निर्देशों को नोट करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि महानिदेशक रक्षा सम्पदा चाहते है कि छावनी परिषदों मे कार्यरत कर्मचारियों के हित मे निम्न मामलों पर सावधानी की आवश्यकता हैः–

क) पेंशन कागजों की समय पर तैयारी
ख) पेंशन प्रस्तावों को सम्बन्धित अधिकारी के पास समय पर अग्रेषण
ग) छावनी परिषद कर्मचारियों के पेंशन प्रस्ताव की समय पर स्वीकृती।
घ) कर्मचारियों को हित प्रदान करने वाले प्रस्तावों की समय पर स्वीकृती – एसीपी एमएसीपी आदि।
घ) कर्मचारियों के आवास के निर्माण के प्रस्ताव

सम्बन्धित सर्कुलर पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर नोट करे।

380. संकल्प

निर्देशों को नोट कर यह निर्णय लिया गया कि सभी पेंशन केसों को बोर्ड के स्तर पर जल्दी/तेजी से तैयार कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के लिए जल्द से जल्द अग्रेषित किये जाए।

381. सामान्य बिंदु।

1. श्रीमती बीना वाधवा, उपाध्यक्ष ने बंगला संख्या 88, हिल स्ट्रीट एवं चाट बाजार के के आस पास जलापूर्ति न होने का मुददा उठाया। मु.अ.अ. ने आश्वस्त किया कि मामले को प्राथमिकता पर देखा जाएगा।

2. कर्नल सुबोध गर्ग, मनोनीत सदस्य ने बंगला संख्या 197, दिल्ली रोड एवं बेकरी लेन, बी. आई बाजार, मेरठ छावनी मे ए–1 रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का मुददा उठाया। दोनो ही भूमि मुख्य स्थान पर है एवं उसे छावनी परिषद को देखरेख के लिए दिया गया था परन्तु वहाँ अवैध बाजार एवं अतिक्रमण कर लिया गया। पहले ही भूमि के छावनी परिषद के परिवर्तन का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास विचाराधीन है परन्तु स्वीकृती प्राप्त होने तक भूमि की सुरक्षा कर सभी अतिक्रमण हटा दिए जाने चाहिए। मु.अ.अ. ने सूचित किया कि भूमि से सी वर्ग मे परिवर्तन होने तक अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी एलएमए की है। उन्होने यह भी समझाया कि छावनी परिषद को एलएमए से किसी रक्षा भूमि को देखरेख के लिए लेने का कोई अधिकार नही है, अत छावनी परिषद का इसमे कोई संवैधानिक कर्तव्य नही है। हालाकि उन्होने जोर दिया कि अतिक्रमण सख्ती से जांचे जाए एवं छावनी परिषद इन जगहों से अतिक्रमण हटाने के लिए एलएमए का पूरा सहयोग करेगा।

3. श्रीमती मन्जू गोयल ने अवैध पानी के कनेक्शनों को नियमित करने का मुददा उठाया। उन्होने कहा कि बोर्ड के नोटिसों के अनुसार लोगों ने क्षमन के लिए कागज जमा किए थे परन्तु उन्हे 03 के लिए पानी के चार्ज के बिल प्राप्त हो रहे है। लोग गरीब एवं भुगतान करने के लिए सक्षम नही है। उन्होने चाहा कि उन्हे 50 प्रतिशत की छुंट दी जाए एवं राशि किश्तों मे वसूल की जाए। मु.अ.अ ने ऐसा करने के लिए असमर्थता व्यक्त की एवं उन्होने कहा कि किश्तों मे जमा करने ही सुविधा दी जा सकती है परन्तु पानी के भुगतान मे 50 प्रतिशत की छुंट नही दी जा सकती। मु.अ.अ किश्त तय करने के लिए अधिकृत है, जब भी कहा जाए।

382. संकल्प

दिंनाक 22.09.2016 को हुए ना0क्षे0समि0 की बैठक के कार्यवृत्त को स्थायी की गई।

जनरल में नोट करने हेतु

जनहित को देखते हुए छावनी प्रशासन द्वारा पुराने अवैध पानी कनेक्शनों को नियमित करने के लिए सराहनीय कदम उठाया गया था, जिसमें प्रशासन द्वारा मात्र 3 हजार रूपये फीस निर्धारित कर कनेक्शन नियमित के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये थे। जानकारी अनुसार काफी संख्या में छावनी के निवासियों ने प्रार्थना पत्र मय फीस जमा करा दी है।

अवैध पानी के कनेक्शन पर बोर्ड ने लगभग 1 से 3 वर्ष पूर्व तक का बिल 600/– रू0 प्रति वर्ष के हिसाब से बांटा जा रहा है। छावनी क्षेत्र में कई ऐसे निवासी है, जिन्होने छावनी प्रशासन के निर्णय को अमल में लाते हुए नियमित हेतु प्रार्थना पत्र जमा किये थे, काफी गरीब हैं। जो एक साथ बिल का भुगतान करने में असमर्थ है।

अतः हमारा प्रस्ताव है कि एरियर बिल के भुगतान के लिए आम जनता को किश्तों में जमा करने की राहत दी जाये तथा जो व्यक्ति वाकई काफी गरीब है या जिसकी स्थिति काफी दयनीय है उसे वार्ड मैम्बर की संस्तुति पर एरियर बिल में 50 प्रतिशत रियायत देते हुए किश्तों में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाये।

कृपया नोट कर अमल में लाने की कृपा करें।

Sd/xxx (बीना बाधवा)	Sd/xxx (मंजू गोयल)	Sd/xxx (बुशरा कमाल)
Sd/xxx (रिन्नी जैन)	Sd/xxx (नीरज राठौर)	Sd/xxx (अनिल जैन)
Sd/xxx (धर्मेन्द्र सोनकर)	Sd/xxx (विपिन सोढी)	

सदस्य सचिव
Member Secretary
मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
मेरठ छावनी
Meerut Cantt

अध्यक्ष
President
छावनी परिषद् मेरठ
Cantonment Board, Meerut

Dated : 22.11.2016.